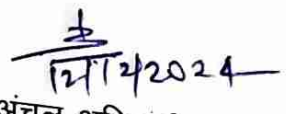
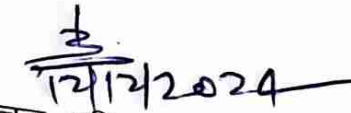


आदेश की क्र०स० एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर कार्रवाई की टिप्पणी सहित
1	2	3
	अभिलेख उपस्थापित। राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक एवं अंचल अमीन का जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। जांच प्रतिवेदन अंकित है कि “मौजा- घंघरी में जाकर राजस्व कागजात एवं नक्शा का मिलान करके अंचल अमीन के साथ स्थलीय जांच किया। जांच में पाया कि गैरमजरूआ खास खाता सं०-22, प्लॉट सं०- 185/3 कुल रकबा-1.50 ए० पर श्री बालेश्वर सिंह पिता भागरीत सिंह के द्वारा जोत-कोड किया जा रहा है। उनके द्वारा जांच के दौरान बंदोबस्ती पर्चा एवं निर्गत रसीद प्रस्तुत किया गया है, जिससे पता चलता है कि अनुमण्डल पदाधिकारी के बंदोबस्ती वाद सं० 50/1994-95 के अन्तर्गत दिनांक 26.03.1995 को मौजा- घंघरी, थाना सं०-344 के अंतर्गत उक्त खाता सं०-22, प्लॉट सं०- 185/3 कुल रकबा-1.50 ए० की बंदोबस्ती उक्त रैयत श्री बालेश्वर सिंह पिता भागरीत सिंह के नाम से हुआ है, जिसका जमाबंदी मौजा-घंघरी के मांग पंजी II के पेज सं० 55/IV पर दर्ज होकर वर्ष 2006-07 तक रसीद निर्गत हो रहा है। इस प्रकार उक्त जमाबंदी संदेहास्पद/अवैध प्रतीत नहीं होता है। उक्त अवैध जमाबंदी वाद सं० 164/2016-17 से बाहर किया जा सकता है।” अतः अंचल अमीन, राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा समर्पित किए गए जांच प्रतिवेदन के आधार पर वाद की कार्रवाई <u>मनाया</u> की जाती है। लेखापित एवं संशोधित।  अंचल अधिकारी, मनातू।  अंचल अधिकारी, मनातू।	

सोम में,

ऑफिस अधिकारी

मनाद, पलखर।

विषय:- अवैध / संदेहास्पद जमाबंदी के 164/2016-17 का
ऑफिस प्रतिवेदन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि मौजा-
12/12/2024 में जाकर राजस्व वसूली के लक्ष्य का भ्रम
करके ऑफिस अधिकारी के साथ स्वतंत्र ऑफिस किया।
ऑफिस में पाया कि जीरमजल्ला खास खाता सं: 22
लीट- 185/3 डूल खता- 1.50 ए० पर श्री बालेश्वर
सिंह पिता- भागरीर सिंह के द्वारा जोर-कोड़ किया
जा रहा है। उनके द्वारा ऑफिस के दौरान बंदीबंदी फर्मा
रखे किन्तु रसीद प्रस्तुत किया गया है, जिससे पता चलता
है कि अनुमंडल पदाधिकारी के बंदी बाद सं: 50/94-95
के अन्तर्गत दिनांक - 28/3/95 को मौजा- बंधरी आगत सं:
344 के अन्तर्गत उत्तर खाता सं: 22, लीट सं: 185/3
खता- 1.50 ए० की बंदीबंदी उत्तर खाता श्री बालेश्वर सिंह
पिता- भागरीर सिंह के नाम से हुआ है, जिसका
जमाबंदी मौजा- बंधरी के मौज पंजी-1 के पेज सं: 53/4
पर दर्ज होकर 2006-07 तक रसीद किन्तु ही रहा है।
इस प्रकार उत्तर जमाबंदी संदेहास्पद / अवैध प्रतीत नहीं
होता है।

अतः उत्तर जमाबंदी को संदेहास्पद / अवैध जमाबंदी से
मुक्त किया जा सकता है।

अनुरोध है कि
आ. अमीर मनाद
12/12/2024

निमित्त
RSL + 2

विशेषाधिकाधिकारी
अनिल कुमार
ए० ड० नि०
हस्ताक्षर - 11